प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति की अध्यक्षता में दिनांक-21.04.2017 (शुक्रवार) को सम्पन्न हुई स्थानीय प्रबंधन समिति की तृतीय बैठक की कार्यवाही :-

1. उपस्थिति संलग्न है।
2. विगत बैठक दिनांक-17.03.2017 की कार्यवाही की संपुष्टि की गई।
3. प्रथम बैठक में लिए गये निर्णयों की बिन्दुवार समीक्षा की गई तथा निर्णय के आलोक में कृत अनुपालन प्रतिवेदन की संपुष्टि की गई।
4. **कार्यसूची की मद संख्या-03** :- पूर्व कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा विद्यालय अतिथिगृहों के उचित प्रशासन एवं प्रबंधन हेतु गठित 05 समिति के सदस्य के रूप में स्थानीय प्रबंधन समिति द्वारा एक वर्ष के लिए एक आश्रम माता सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर विचार-विमर्श किया गया; सम्यक विचारोपरांत आश्रममाता की हैसियत से श्रीमती निशि हेमरोम, आश्रममाता, शांति आश्रम की नियुक्ति को सहमति प्रदान की गई।
5. **कार्य सूची की मद संख्या-04** :-चतुर्थ आश्रमवर्ग को कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, लातेहार द्वारा विद्यालय प्रशासन को हस्तगत कराया जा चुका है, हस्तगत पश्चात् पूर्व के अनुबंधित सार्थो द्वारा फर्नीचरों एवं उपस्करों का क्रय कर लिया गया है जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में श्री राजेन्द्र मिश्र, मुख्य भंडारी द्वारा सदस्यों को बताया गया कि कुछेक आवश्यक बर्त्तनों एवं कुर्सियों के क्रय के लिए निविदा प्रकाशन कराई गई थी निविदा के आलोक में तीन सार्थो ने भाग लिया। इसी क्रम में उप-प्राचार्य द्वारा उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया गया कि कार्य आवश्यक है अतएव आवश्यक प्रक्रिया अपनाते हुए क्रय की प्रक्रिया शीघ्र सम्पादित करें। आश्रमों के सुसज्जीकरण को लेकर प्रधान भंडार पाल को यह भी निर्देश दिया गया कि पूर्व में तृतीय आश्रमवर्ग के किशोर एवं साकेत आश्रम में टाटा स्काई को लेकर जो समस्याएँ उत्पन्न हो रही है, उसका निराकरण शीघ्र कराकर समिति को संसूचित करेंगे।
6. **कार्य सूची की मद संख्या -05** :- श्री रौशन कुमार बक्शी, जो वर्तमान में रिक्त प्रशासनिक पदाधिकारी के कार्य-दायित्वों का कार्य

विगत एक वर्षो से संपादन कर रहे हैं। बिहार सेवा संहिता के नियम 103 के प्रावधान का हवाला देते हुए लेखापाल द्वारा श्री बक्शी, कोषपाल को उनके मूल वेतन का 20% क्षतिपूरक भत्ता स्वीकृत करने का प्रस्ताव दिया गया है समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि बिहार सेवा संहिता नियम 103 के कंडिका (i),(ii),(iii) एवं (iv) के मद्देनजर इस प्रस्ताव की संपुष्टि कार्यकारिणी विघटित होने के कारण प्रशासी विभाग से दिशा निर्देश लेने की आवश्यकता है।

7. **कार्य सूची की मद संख्या-06** :- प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक-121, दिनांक-10.04.2017 के माध्यम से विद्यालय में लघु निर्माण कार्यो के अनुश्रवण हेतु SMDC के तहत एक समिति गठित करने हेतु पत्र दिया गया था, चूँकि नेतरहाट आवासीय विद्यालय पूर्व से ही एक स्वायत्तशासी निकाय है एवं पहले से ही इसके तीन वैधानिक निकाय पूर्वगठित है; अतएव जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार का दिनांक-19.04.17 को विद्यालय आगमन समय विचार-विमर्श कर विद्यालय पत्रांक-762, दिनांक-19.04.2017 के माध्यम से प्रत्युत्तर दिये जा चुके हैं। सम्यक विचारोपरांत इसकी कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।

8. **अन्य-01** :- बैठक में उपस्थित कोषपाल द्वारा द्वितीय बैठक के संदर्भ में विशेष कार्य पदाधिकारी को भुगतान की जा रही राशि के संदर्भ में अंकेक्षकों द्वारा दी गयी आपत्ति से संबंधित तथ्यों को सदस्यों के सामने रखा। इस पर सदस्यों द्वारा पूर्व के बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में की गई कृत कार्रवाई का अवलोकन किया गया। संचिका अवलोकनोपरांत यह द्रष्टव्य हुआ कि विद्यालय कार्यालय पत्रांक-595, दिनांक-19.03.2017 के द्वारा विभागीय निर्देश हेतु विभागीय सचिव को पत्र प्रेषित किया जा चुका है, परंतु अंकेक्षण की आपत्ति को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इस पर सभी सदस्यों का विचार गठित हुआ कि विभागीय निर्देश की प्रत्याशा में चूँकि श्री पी. पी. महतो की संविदा अवधि समाप्त हो चुकी है। अतएव संबंधित विषयक Legal Opinion विद्यालय के पूर्व अनुबंधित अधिवक्ता से

लिया जाय एवं तत्संबंधी कार्रवाई से श्री महतो को भी संसूचित कर दिया जाय।

अन्य 02 :– Maxima concept, Ranchi द्वारा चलाये जा रहे कोचिंग classes का contract period 31.03.2017 तक ही था। सम्प्रति, कार्यकारिणी समिति विघटित है, अतएव समिति के सभी सदस्यों का यह सम्यक् विचार गठित हुआ कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अगले तीन माह के लिए पूर्व निर्धारित दर पर उन्हें कायदिश निर्गत किया जाय। इसके लिए उप–प्राचार्य को अधिकृत किया गया।

अन्य 03 : विद्यालय अतिथि भवनों में विद्यालय के सेवा–निवृत शिक्षक एवं तृतीय वर्गीय कर्मियों को एक समय में दो दिनों तक निःशुल्क ठहरने की सुविधा प्रदान करने की अनुशंसा प्रबंधन समिति अनुशंसा करती है।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

ह०/–
(विन्ध्याचल पाण्डेय)
अध्यक्ष,
स्थानीय प्रबंधन समिति,
नेतरहाट आवासीय विद्यालय।

प्रतिलिपि :– उप–प्राचार्य, ने.आ.वि./श्री मुरलीधर कोटवार, सह शिक्षक/कोषपाल /श्री चंद्रिका पंडित, लेखापाल/श्री राजेन्द्र मिश्र,प्रधान भंडारपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विन्ध्याचल पाण्डेय)
अध्यक्ष,
स्थानीय प्रबंधन समिति,
नेतरहाट आवासीय विद्यालय।

नेतरहाट आवासीय विद्यालय

उपस्थिति पत्रक

दिनांक–21.04.2017 को प्राचार्य कक्ष में आयोजित स्थानीय प्रबंधन समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की तृतीय बैठक की उपस्थिति :–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	धारित पद	हस्ताक्षर
01	श्री विंध्याचल पाण्डेय	प्राचार्य	अध्यक्ष, स्थानीय प्रबंधन समिति	21/4/17
02	श्री अंशुमान चटर्जी	उप–प्राचार्य	सदस्य, स्थानीय प्रबंधन समिति	21/4/17
03	श्री मुरलीधर कोटवार	सह–शिक्षक	सदस्य, स्थानीय प्रबंधन समिति	21/4/2017
04	श्री रौशन कुमार बक्शी	कोषपाल	सदस्य, स्थानीय प्रबंधन समिति	21/4/17